<u>प्रेस-नोट</u>

<u>थाना रक्सा</u>

<u>दिनाँक- 19.03.2024</u>

थाना रक्सा एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही
कन्टेनर गाड़ी में लदी अवैध 150 पैकेट मे कुल 6,000 कि0ग्रा0 भांग बरामद
फर्जी दस्तावेजों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत झाँसी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 19.03.2024 को थाना रक्सा पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की कार्यवाही मे एक कंटेनर मे लदे 150 पैकेट मे कुल 6,000 कि0ग्रा0 अवैध भांग व फर्जी दस्तावेजों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 63/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u> आज दिनाँक 19.03.2024 को थाना रक्सा पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे मुखबिर की सूचना पर जौहरिया बोर्डर पर बैरियर लगाकर एक कैंटर UP78HT4336 को रोका गया जिसकी तलाशी मे वाहन मे लदे 150 पैकेट मे प्रत्येक पैकेट मे 40 कि0ग्रा0 (कुल 6,000 कि0ग्रा0) अवैध भांग बरामद हुयी। उक्त वाहन के चालक से लदी भांग के सम्बन्ध मे प्रपत्र तलब किये गये तो चालक ने परिवहन पास आईडी 13 व इम्पोर्ट परमिट व ट्रान्सपोटेशन बिल्टी दिखाया परिवहन पास आईडी 13 में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तृतीय निघासन लखीमपुर खैरी की मुहर व हस्ताक्षर बने हुये पाये गये।

इसका सत्यापन आबकारी निरीक्षक निघासन लखीमपुर खैरी से कराया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि परिवहन पास आईडी 13 में अंकित अजय कुमार अवस्थी के नाम क्षेत्र तृतीय निघासन लखीमपुर खैरी मे वर्ष 2023-2024 मे कोई भी थोक वाहन संचय केन्द्र संचालित नही है और ना ही उनके द्वारा कोई परिवहन पास आईडी 13 क्रमांक 009328 जारी किया गया है। उस पर किये गये हस्ताक्षर एवं मोहर कूटरचित एवं फर्जी हैं। मौके पर माल मय वाहन को मय चालक अभियुक्त अंकित यादव पुत्र सुरेश कुमार नि0 ग्राम नारीखेत थाना रनिया कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया। **पूँछताछ मे अभियुक्त चालक उपरोक्त ने बताया कि उपरोक्त माल लोड़ करने हेतु वाहन का मालिक बताया था।** उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर चालक मय माल को कब्जे पुलिस लेकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

अंकित यादव पुत्र सुरेश कुमार नि0 नरीखत कस्वा व थाना रनिया कानपुर नगर

<u>बरादमगी अभियुक्तगणः-</u>

1. 150 पैकेट मे कुल 6,000 कि0ग्रा0 अवैध भांग

2. एक अदद वाहन कैंटर UP78HT4336 सीज

3. फर्जी दस्तावेज (परिवहन पास आईडी 13 क्रमांक 009328, इम्पोर्ट परमिट कार्यालय आबकारी आयुक्त म0प्र0 व शिवजी फारवर्डिंग कानपुर की ट्रान्सपोटेशन बिल्टी)

<u>गिरफ्तार का स्थान व समयः</u> जौहरिया बोर्डर थाना रक्सा जनपद झाँसी, दिनांक 19.03.2024 समय 14.30 बजे

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः</u>

1. थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार थाना रक्सा जनपद झाँसी
2. आबकारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव सदर झाँसी
3. आबकारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार पाठक प्रवर्तन दल 2 झाँसी
4. उ0नि0 राकेश सिंह थाना रक्सा जनपद झाँसी
5. उ0नि0 महेश कुमार थाना रक्सा जनपद झाँसी

6. हे0का0 गिरीश कुमार आबकारी टीम
7. हे0का0 सूर्यप्रकाश शुक्ला आबकारी टीम
8. का0 292 मुकेश कुमार थाना रक्सा जनपद झाँसी
9.का0 1099 बृजकिशोर थाना रक्सा जनपद झाँसी
10. का0 सुरेन्द्र सिंह आबकारी टीम
11. का0 सुशील कुमार शर्मा आबकारी टीम
12. का0 नत्थू प्रसाद आबकारी टीम